भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1769
02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1769. डॉ॰ भारती प्रवीण पवारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/आर्थिक मामलों संबंधी मत्रिमंडलीय समिति (सीजीईए) अनेक कृषि उत्पाद, विशेषकर प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिरोपित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कौन से उत्पाद कवर किए गए हैं; और

(ग) इनसे होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार, वर्तमान में राज्य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलके सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूं जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड/सरसो, कुसुम्भ, पटसन एवं कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, तोरिया एवं छिलके रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भी क्रमश: रेपसीड/सरसो एवं कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी फसलें देश में कुल कृषि उत्पादन(बाग़वानी फसलों को छोड़कर) का लगभग 99 प्रतिशत कवर करती हैं। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों का पालन करते हुए केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीद की जाती है।

सरकार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अनुरोध पर प्याज सहित नाशवान प्रकृति के बागवानी फसलों एवं कुछ कृषि फसलों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल नहीं हैं, के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य उत्पादकों को अपना उत्पाद कम मूल्यों पर बेचने से बचाना है जब सर्वाधिक आगम की अवधि में बंपर फसल की स्थिति में इनके मूल्य आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाते हैं। इसकी शर्त यह है कि

पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि हो या बाजार मूल्य 10 प्रतिशत कम हों। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर किया जाता है जो इसके कार्यान्वयन में हुई हानि का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में 25 प्रतिशत) वहन करने पर सहमत होते हैं।

*****